खज़ान सिंह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान

बनाम

भारत संघ

6, जनवरी, 2002

[के. टी. थॉमस और एस. एन. फुकान, न्यायाधिपतिगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 - धारा 18, 20 और 26

कलेक्टर द्वारा सिविल न्यायालय को दिया गया रेफरेंस – शुद्वता के लिये चूक के आधार पर खारिज की गई अभिनिर्धारित किया, किसी भी पक्ष की गैर-भागीदारी सिविल न्यायालय को चूक के लिए रेफरेंस को खारिज करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगी - सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 9, नियम 9 और धारा 151 –

अपीलार्थी की भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किया गया था और कलेक्टर द्वारा एक पंचाट पारित किया गया था। पंचाट से संतुष्ट न होने पर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत एक रेफरेंस दिये जाने के लिये सिविल न्यायालय मे एक आवेदन दायर किया। तदनुसार कलेक्टर ने

रेफरेंस बनाया। सिविल न्यायालय ने चूक के आधार पर संदर्भ को खारिज कर दिया। इस बीच अपीलार्थी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने रेफरेंस की बहाली के लिये सीपीसी के आदेश 9 नियम 9 और सीपीसी की धारा 151 के अनुसार संदर्भ की बहाली के लिये एक आवेदन दायर किया । सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। इसलिये यह अपील प्रस्तुत है।

अपील को स्वीकार करते हुये, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया'

दीवानी न्यायालय को भूमि अधिग्रहण की धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा दिए गए रेफरेंस के जवाब में एक पंचाट पारित करना होता है। यदि कोई भी पक्ष जिसे दीवानी न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है, उसने जांच में भाग नहीं लिया है तो यह केवल उसके जोखिम पर होगा क्योंकि एक पंचाट शायद संबंधित पक्षकार के नुकसान के लिए पारित किया जाएगा किंतु किसी भी पक्ष की गैर-भागीदारी दीवानी न्यायालय को रेफरेंस को चूक के आधार पर खारिज करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगी। [433-एफआई

जोसेफ बनाम केरला सरकार (1991) 2 केरला लॉ टाइम्स 69 और जोगी साहू बनाम कलेक्टर, एआईआर (1991) उड़ीसा 283, अनुमोदित।

अब्दुल करीम बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए. आई. आर. (1964) एम. पी. 171; मुंडा बनाम औरा एआईआर (1970) पटना 209 और सनाई बनाम सरकार, एआईआर (1974) पटना 176 - संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 667 / 2002

एफ. ए. ओ. सं. 354 /2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.7.2001 से उदगमित।

सुश्री सुरुची अग्रवाल, अपीलार्थियों की ओर से

एन. एन. गोस्वामी, सुश्री नीरा गुप्ता और डी. एस. मेहरा, उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति थॉमस के द्वारा दिया गया था

अनुमति मंजूर की गई।

क्या, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा दिया गया रेफरेंस चूक के आधार पर

खारिज किया जा सकता है? एक सिविल न्यायालय ने दावेदार रेफरेंस को चूक के लिए खारिज कर दिया क्योंकि जब मामला लिया गया तो वह उपस्थित होने में विफल रहा। उसके द्वारा रेफरेंस को पुन: अभिलेख पर लिये जाने बाबत एक असफल प्रयास किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा भी उसको आलोचित आदेश के अनुसार मदद नहीं की गई। अपीलार्थीगण एक खजान सिंह के उत्तराधिकारीगण है। खजान सिंह से संबंधित भूमि का एक निश्चित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था और दिनांक 16/7/1984 को भूमि के मालिको को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित करते हुये कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण अधिकारी) द्वारा एक पंचाट पारित किया गया। चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निश्चित की गई राशि से खजान सिंह संतुष्ट नहीं था, उसके द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल न्यायालय को एक रेफरेंस किये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करते हुये रेफरेंस तैयार किया। यह एक जिला न्यायाधीश के न्यायालय मे लंबित चल रहा था। दिनांक 29/9/1997 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा रेफरेंस को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि 'उक्त दिनां को न तो प्रार्थी न ही उसका अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हुये'।

इस बीच खज़ान सिंह की मृत्यु हो गई और वर्तमान अपीलार्थियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 9 नियम 9 और धारा 151 का हवाला देते हुए रेफरेंस को पुन: नंबर पर लिये जाने के लिये एक प्रार्थना-पत्र दायर किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उक्त याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता का उक्त दिनांक 29.9.1997 को गैरहाजिर रहने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था।

अपीलार्थीगण द्वारा इसके पश्चात उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया मुख्य रूप से इस आधार पर कि अपीलार्थी और उसके वकील की अनुपस्थिति का संतोषजनक रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इस आधार पर भी कि पुन:नंबर पर लिये जाने के प्रार्थना- पत्र में देरी अस्पष्ट थी। यह उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय है जिसे कि इस अपील में अब चुनौती दी जा रही है।

अधिनियम की धारा 18 भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को यह अधिकार देती है िक वह कलेक्टर को एक लिखितआवेदन देकर यह मांग कर सकता है कि मामले को न्यायालय के निर्णयन के लिये भेजा जाये, चाहे उसकी आपत्ति भूमि की माप के आधार पर, क्षतिपूर्ति की राशि पर, वह व्यक्ति जिसे यह देय है या हितबद्व व्यक्तियो के

बीच मुआवजे का बंटवारा से संबंधित है, यदि रेफरेंस के लिये आवेदन सही है तो कलेक्टर न्यायालय को इसका रेफरेंस करने के लिये बाध्य है। अधिनियम की धारा 20 न्यायालय को आपत्ति का निर्धारण करने के लिये आगे बढने का आदेश देती है। न्यायालय आवश्यक जांच करने के बाद एक पंचाट पारित करेगा। अधिनियम की धारा 26 इस प्रकार से पठनीय है-

> "26. पंचाट का प्रपत्र. (1) इस भाग के तहत प्रत्येक पंचाट न्यायाधीश द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित होगा, और धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड प्रथम के तहत दी गई राशि और उसी उप-धारा के अन्य खंडों में से प्रत्येक के तहत दी गई राशियों (यदि कोई हो) को भी उक्त राशियों में से प्रत्येक को देने के आधारों के साथ निर्दिष्ट करेगा।
>
> (2) ऐसा प्रत्येक पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2, खंड (2) और धारा 2, खंड (9) के अर्थ के भीतर एक डिक्री और ऐसे प्रत्येक पंचाट के आधार के विवरण को एक निर्णय माना जाएगा।

उपरोक्त उपबंध इस प्रकार यह स्पष्ट करेंगे कि सिविल न्यायालय को कलेक्टर के द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत किए गए रेफरेंस

के जवाब में एक पंचाट पारित करना होगा। किसी भी पक्ष को जिसे सिविल न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है, उसने जांच में भाग नहीं लिया, यह केवल उसके जोखिम पर होगा क्योंकि एक पंचाट पारित किया जाएगा जो शायद संबंधित पक्ष के नुकसान बाबत होगा। किंतु किसी भी पक्ष की गैर-भागीदारी, चूक के लिए रेफरेंस को खारिज करने के लिए सिविल न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई निर्णयो में उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाया है -

अब्दुल करीम, ए. आई. आर. (1964) एम. पी. 171; मुंडा बनाम ओराओन एआईआर (1970) पटना 209; सनाई बनाम सरकार, एआईआर (1974) पटना 176; जोसेफ बनाम केरला सरकार [1991] 2 केरल लॉ टाइम्स 69 और जोगी साहू बनाम कलेक्टर एआईआर (1991) उड़ीसा 283

जोसेफ बनाम केरला सरकार (उपरोक्त) में, परिपूर्णन, न्यायाधीश (जैसा कि वे तब थे), एक खंड पीठ की ओर से बोलते हुए एकल न्यायाधीशों के पहले के दो फैसलों का संदर्भ दिया गया है, एक उसी उच्च न्यायालय द्वारा और दूसरा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा, जिसमें एक ही विचार व्क्त किया गया।

जोगी साहू बनाम कलेक्टर, ए. आई. आर. (1991) उड़ीसा 283 में, न्यायाधिपति पसायत द्वारा (जैसा कि वे तब थे) में आगे कहा गया कि रेफरेंस की बहाली के लिए एक आवेदन को संहिता की धारा 151 के तहत स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि संहिता के आदेश 9 नियम 9 का हवाला देते हुए वही प्रस्तुत किया गया था।

परिणाम में, हम इस अपील को स्वीकार करते है और दिनांक 29.9.1997 को अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हैं जिसके द्वारा रेफरेंस को चूक के आधार पर खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त जिला न्यायालय अब रेफरेंस का का जवाब देने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा और पंचाट पारित करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 26 में परिकल्पित है।

तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

□□□□□□□□□- □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □ □□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □□□□□ □ □ □□□□ □□□□□□□□